भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2544

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

अंतर-राज्यीय विद्युत आवंटन, विद्युत प्रशुल्क और सीमा-पार विद्युत व्यापार

2544. श्री अब्दुल वहाब:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान आवंटित की गई विद्युत की मात्रा, वास्तविक आपूर्ति तथा लागू विद्युत प्रशुल्कों के ब्यौरे सहित सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशनों से आवंटित विद्युत का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सर्वाधिक विद्युत खपत करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी वार्षिक विद्युत खपत कितनी रही है;

(ग) राज्यों के बीच सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या भारत पड़ोसी देशों को विद्युत का निर्यात करता है, यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान निर्यातित विद्युत की मात्रा, उससे अर्जित राजस्व और ऐसे निर्यात को अभिशासित करने वाले समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर-राज्यीय पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पांच वर्षों (संबंधित वर्षों में 31 मार्च तक) और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 30.06.2026 तक) के दौरान केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस**)** से विद्युत आवंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-**I पर दिया गया है।

पिछले पांच वित्त वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 और मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक**)** के लिए सीजीएस से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार विवरण **अनुबंध**-II पर दिया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विभिन्न पारंपरिक उत्पादन मोड से केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (25 मेगावाट तथा उससे अधिक क्षमता वाले) के लिए अखिल भारतीय भारित औसत विद्युत विक्रय दर

(एआई-डब्ल्यूएआरएसपी) प्रकाशित करता है तथा तदनुसार, विगत पाँच वित्त वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की एआई-डब्ल्यूएआरएसपी **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(ख) : विगत पाँच वित्त वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तथा चालू वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है, जिसमें उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक ऊर्जा खपत हुई।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 31.07.2024 को केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आवंटन हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (ताप, जलविद्युत तथा न्यूक्लियर) से विद्युत आवंटन हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं:

I. केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से 15% विद्युत समय-समय पर लाभार्थियों, मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, की तात्कालिक/आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार के निपटानार्थ 'अनावंटित' रखी जाती है तथा शेष 85% विद्युत का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 10% विद्युत अथवा अन्य कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशत गृह राज्य को आवंटित किया जाता है तथा 75% विद्युत का वितरण क्षेत्र के राज्यों की विगत पाँच वर्षों की ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य किया जाता है।

(ii) जल विद्युत संयंत्रों के लिए, 12% निःशुल्क विद्युत उन राज्यों को आवंटित की जाती है जो डूब क्षेत्र, जनसंख्या के विस्थापन आदि के कारण प्रभावित होते हैं। 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए आरक्षित किया जाता है तथा 72% विद्युत का आवंटन विगत पाँच वर्षों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गृह राज्य सहित) को किया जाता है।

(iii) न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिए, 50% विद्युत गृह राज्य को आवंटित की जाती है तथा 35% विद्युत का आवंटन क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गृह राज्य को छोड़कर) को विगत पाँच वर्षों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

II. संयुक्त उपक्रमों (जेवी) के मामले में, जहाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) किसी अन्य संस्था के साथ भागीदार है, वहाँ जेवी के भागीदारों के मध्य विद्युत का आवंटन उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में किया जाएगा, जब तक कि किसी जेवी भागीदार के साथ कोई विशिष्ट समझौता न हो। सीपीएसयू के हिस्से का वितरण विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र के सभी लाभार्थी राज्यों के मध्य किया जाएगा।

(घ) : भारत विद्युत विनिमय(यों) तथा द्विपक्षीय माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार को विद्युत का निर्यात कर रहा है। भारतीय ग्रिड से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से विगत पाँच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान भारत द्वारा पड़ोसी देशों को ऊर्जा के संदर्भ में निर्यात की गई विद्युत का विवरण **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अदानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल) वित्त वर्ष 2022-23 से विशेष रूप से बांग्लादेश को विद्युत की आपूर्ति कर रही है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आपूर्ति की गई विद्युत का विवरण **अनुबंध-VI** पर दिया गया है।

विद्युत का आयात/निर्यात विद्युत विनिमय के माध्यम से अथवा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार वाणिज्यिक शर्तों पर क्रेता एवं विक्रेता निकायों के मध्य द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से किया जाता है।

(ङ) : भारत सरकार ने अंतर-राज्यीय पारेषण अवसंरचना तथा क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए हैं:

(i) बढ़ती विद्युत मांग के अनुरूप पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2014 से पारेषण नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2.18 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 947 जीवीए रूपांतरण क्षमता तथा 84 गीगावाट अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 120 गीगावाट तक पहुँच गई है, जिससे पूरे देश में विद्युत का विश्वसनीय पारेषण संभव हुआ है।

(ii) भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण), 2024 अधिसूचित की है, जिसमें वर्ष 2023-2032 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। योजना के अनुसार, पारेषण नेटवर्क के जून, 2026 की स्थिति के अनुसार 5.09 सीकेएम से बढ़कर वर्ष 2032 तक 6.48 सीकेएम तथा रूपांतरण क्षमता के जून, 2026 की स्थिति के अनुसार 1,478 जीवीए से बढ़कर 2,345 जीवीए होने की संभावना है। साथ ही, अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के जून, 2026 की स्थिति के अनुसार 120 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2032 तक 168 गीगावाट करने की योजना है।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के अनुरूप अंतःराज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। वोल्टेज स्थिरता, एंगुलर स्थिरता, हानियों में कमी आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की आरई स्कीमों का अंतःराज्यीय नेटवर्क के साथ सुदृढ़ अंतर्संबंध स्थापित किया जा रहा है।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को डालने निर्माण तथा नई उपकेंद्र क्षमता के निर्माण में भी सहायता की जा रही है।

(v) इसके अतिरिक्त, स्टैटिक वीएआर कम्पेन्सेटर (एसवीसी), स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेन्सेटर (स्टैटकॉम) तथा सिंक्रोनस कंडेंसर (सिनकॉन) जैसी अनेक गतिशील ग्रिड सहायता प्रणालियाँ आईएसटीएस के अंतर्गत आयोजना एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये प्रणालियाँ वोल्टेज स्थिरता को बढ़ाती हैं, विद्युत पारेषण क्षमता में सुधार करती हैं, ग्रिड व्यवधानों के दौरान तीव्र गतिशील सहायता प्रदान करती हैं तथा राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करती हैं।

(vi) उच्च मांग अवधि के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vii) जून, 2028 तक चालू किए गए सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं तथा जून, 2028 तक जिन जलविद्युत पीएसपी परियोजनाओं के निर्माण कार्य अवार्ड किया गया है, उनके लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार 100% माफ कर दिया गया है।

(viii) गैर-जीवाश्म स्रोतों से क्षमता वृद्धि: गैर-जीवाश्म स्रोतों से क्षमता वृद्धि पर बल दिया जा रहा है, जो अब कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के 54% से अधिक है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट संस्थापित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की योजना बनाई है। केवल वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत ने लगभग 55.3 गीगावाट गैर-जीवाश्म उत्पादन क्षमता जोड़ी, जिसमें 44.6 गीगावाट सौर क्षमता तथा 6.1 गीगावाट पवन क्षमता शामिल है।

(ix) पारंपरिक स्रोतों से क्षमता वृद्धि: वर्ष 2035-36 तक कोयला आधारित संयंत्रों की संस्थापित क्षमता 315 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गैस आधारित तथा आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(x) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से न्यूक्लियर ऊर्जा में अत्यधिक संभावनाएँ हैं तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह बेस लोड विद्युत का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा का जीवनचक्र उत्सर्जन जलविद्युत तथा पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्सर्जन के समान है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर विद्युत क्षमता का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

(xi) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 'नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों' (आरईआईए) द्वारा प्रतिवर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय हेतु बोलियाँ जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी किया है।

(xii) भारत सरकार ने सितंबर, 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को अनुमोदित किया। इस स्कीम के अंतर्गत 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 13.22 जीडबल्यूएच बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये की वित्त सहायता के साथ 30 जीडबल्यूएच बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु एक अन्य वीजीएफ स्कीम को अनुमोदित किया है।

(xiii) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के पश्चात् नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्ति लगाई जाएगी। आरसीओ में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपभोग की विनिर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

(xiv) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की।

(xv) सौर पीवी मॉड्यूलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

(xvi) भारी उद्योग मंत्रालय ने “उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम” नामक पीएलआई स्कीम शुरू की है, जिसे मई, 2021 में 50 जीडबल्यूएच घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता संस्थापित करने हेतु 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 10 जीडब्ल्यूएच ग्रिड स्केल स्थिर भंडारण (जीएसएसएस) अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-I(1/2)

पिछले पांच वर्षों (मार्च, 2022 से मार्च, 2026) और चालू वर्ष (दिनांक 30.06.2026 तक) के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत के आवंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(सभी आंकड़े मेगावाट में हैं)

क्रम सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति अनुसार	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति अनुसार
1	चंडीगढ़	376.8	285.3	289.8
2	दिल्ली	3,835.7	3,985.6	3,835.6
3	हरियाणा	3,060.4	2,792.6	2,792.6
4	हिमाचल प्रदेश	1,474.5	1,412.5	1,516.8
5	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,481.1	3,201.6	3,423.0
6	पंजाब	3,098.3	2,635.4	2,635.4
7	राजस्थान	3,666.1	3,440.5	3,261.5
8	उत्तर प्रदेश	8,887.3	8,488.9	8,488.9
9	उत्तराखंड	1,107.0	1,425.1	1,317.2
10	छत्तीसगढ़	2,030.6	2,620.3	2,707.8
11	गुजरात	7,362.3	7,155.0	7,313.9
12	मध्य प्रदेश	6,404.7	6,691.4	7,244.5
13	महाराष्ट्र	9,151.7	8,472.3	8,955.2
14	दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली	1,618.8	1,542.9	1,689.1
15	गोवा	641.9	648.5	669.8
16	आंध्र प्रदेश	1,967.6	1,978.6	1,989.3
17	तेलंगाना	2,481.1	2,491.6	3,877.6
18	कर्नाटक	4,846.4	4,744.4	5,282.8
19	केरल	2,284.2	2,280.1	2,291.2
20	तमिलनाडु	7,025.6	7,142.2	6,775.1
21	पुदुचेरी	590.9	585.8	617.2
22	बिहार	6,195.9	7,050.4	7,282.3
23	डीवीसी	3,599.1	3,188.7	3,198.8
24	झारखंड	1,553.0	1,722.0	1,995.1
25	ओडिशा	1,898.8	2,016.6	2,347.7
26	पश्चिम बंगाल	2,611.8	2,650.7	2,739.2
27	सिक्किम	98.4	99.7	191.3
28	अरुणाचल प्रदेश	300.1	295.3	295.3
29	असम	1,670.2	1,692.3	1,871.4
30	मणिपुर	248.8	211.6	243.0
31	मेघालय	352.2	274.3	327.3
32	मिजोरम	202.5	201.7	222.4
33	नागालैंड	174.5	201.9	201.9
34	त्रिपुरा	482.3	411.7	467.6

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-I (2/2)

पिछले पांच वर्षों (मार्च 2022 से मार्च 2026) और चालू वर्ष (दिनांक 30.06.2026 तक) के दौरान केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) से विद्युत आवंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(सभी आंकड़े मेगावाट में हैं)

क्रम सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति अनुसार	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति अनुसार	दिनांक 30.06.2026 की स्थिति अनुसार
1	चंडीगढ़	299.9	345.9	456.7
2	दिल्ली	3,835.6	4,237.3	4,838.2
3	हरियाणा	2,792.6	2,974.6	3,315.1
4	हिमाचल प्रदेश	1,624.8	1,803.5	1,634.3
5	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,623.0	3,020.0	2,134.1
6	पंजाब	2,635.4	2,667.7	2,990.5
7	राजस्थान	3,932.8	5,111.5	5,005.2
8	उत्तर प्रदेश	9,530.4	10,881.2	11,520.5
9	उत्तराखंड	1,457.9	1,204.4	1,592.1
10	छत्तीसगढ़	2,707.8	2,806.8	3,066.2
11	गुजरात	7,313.9	7,048.5	6,998.9
12	मध्य प्रदेश	7,244.5	7,668.2	7,655.3
13	महाराष्ट्र	8,955.2	9,059.8	9,025.2
14	दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली	1,689.1	1,725.2	1,671.5
15	गोवा	667.8	672.7	670.6
16	आंध्र प्रदेश	1,933.7	2,170.7	2,170.7
17	तेलंगाना	3,741.9	3,809.2	3,809.2
18	कर्नाटक	4,931.0	4,521.3	4,521.3
19	केरल	2,410.3	2,808.9	2,808.9
20	तमिलनाडु	6,952.9	7,103.8	6,718.4
21	पुदुचेरी	558.1	679.3	679.3
22	बिहार	7,572.2	8,557.5	8,559.0
23	डीवीसी	3,198.8	3,365.1	3,365.1
24	झारखंड	2,041.2	2,825.5	3,505.8
25	ओडिशा	2,388.6	2,741.5	2,741.7
26	पश्चिम बंगाल	2,778.7	3,192.0	3,192.1
27	सिक्किम	171.8	177.3	207.2
28	अरुणाचल प्रदेश	301.3	405.0	439.7
29	असम	2,222.2	2,181.3	2,176.7
30	मणिपुर	247.6	273.8	282.2
31	मेघालय	362.7	417.0	398.7
32	मिजोरम	222.4	242.1	248.8
33	नागालैंड	207.6	217.3	222.5
34	त्रिपुरा	467.6	486.4	542.8

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-II

पिछले पांच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) और वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के लिए सीजीएस से विद्युत उत्पादन का विवरण:

(सभी आंकड़े एमयू में हैं)

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	ईंधन का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (जून 2026 तक)
1	बरौनी टीपीएस	कोयला	2,410.67	3,622.80	3,151.64	3,632.02	3,391.97	683.59
2	बाढ़ एसटीपीएस	कोयला	8,821.55	13,138.38	14,392.04	16,667.03	17,644.85	5,212.63
3	भिलाई टीपीएस	कोयला	3,517.73	3,791.95	3,875.74	3,613.86	3,578.58	909.10
4	बोकारो टीपीएस `ए` ईएक्सपी	कोयला	2,996.83	3,796.11	3,607.92	3,188.70	2,587.81	887.48
5	बोंगाईगांव टीपीपी	कोयला	4,201.45	5,026.24	5,058.11	4,787.20	4,294.87	1,187.67
6	बक्सर टीपीपी	कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.11	863.05
7	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	कोयला	3,815.98	3,478.12	3,747.66	3,479.40	3,127.57	892.62
8	दादरी (एनसीटीपीपी)	कोयला	5,723.77	10,703.99	9,982.72	9,901.80	8,773.70	2,560.04
9	दरलीपाली एसटीपीएस	कोयला	9,129.42	11,317.57	12,054.96	12,096.12	11,616.37	2,985.79
10	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	कोयला	6,138.47	7,096.23	7,079.73	7,058.57	6,269.32	1,748.41
11	दुर्गापुर टीपीएस	कोयला	215.11	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12	फरक्का एसटीपीएस	कोयला	12,421.57	12,402.37	13,784.22	14,023.79	12,236.92	3,209.07
13	गाडरवारा टीपीपी	कोयला	7,965.67	9,390.94	9,995.71	9,027.54	9,255.17	2,673.37
14	घाटमपुर टीपीपी	कोयला	0.00	0.00	0.00	1,053.22	4,467.84	1,542.56
15	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	कोयला	7,051.21	8,268.17	8,284.84	8,711.53	7,434.66	2,203.49
16	कहलगांव टीपीएस	कोयला	16,026.71	15,595.60	16,555.49	16,525.32	15,678.49	4,107.27
17	खरगोन एसटीपीपी	कोयला	6,343.97	5,630.45	7,686.92	7,421.16	7,188.87	2,152.05
18	खुर्जा टीपीपी	कोयला		0.00	0.00	870.80	6,496.02	2,082.48
19	कोडरमा टीपीपी	कोयला	6,930.26	7,269.56	7,066.86	7,358.35	6,103.60	1,687.97
20	कोरबा एसटीपीएस	कोयला	21,245.37	20,759.68	20,517.25	20,671.02	19,977.09	4,578.71
21	कुडगी एसटीपीपी	कोयला	6,709.08	11,330.75	12,092.37	12,090.09	10,069.03	3,421.82
22	लारा टीपीपी	कोयला	11,365.81	11,685.41	11,751.56	12,648.07	12,182.67	2,886.54
23	मौदा टीपीएस	कोयला	12,205.51	14,714.12	14,906.24	14,264.23	14,463.59	3,930.88
24	मेजा एसटीपीपी	कोयला	7,572.83	7,366.82	8,275.82	8,598.70	7,744.56	2,347.50
25	मेजिया टीपीएस	कोयला	14,599.25	15,668.23	15,670.77	15,711.73	14,722.29	3,756.08
26	मुजफ्फरपुर टीपीएस	कोयला	2,849.53	2,991.96	2,906.20	2,802.01	2,482.53	680.40
27	नबीनगर एसटीपीपी	कोयला	8,138.21	12,924.67	14,411.96	14,044.14	12,934.88	3,258.64
28	नबीनगर टीपीपी	कोयला	5,693.73	6,926.80	6,944.47	7,087.23	6,090.01	1,729.76
29	उत्तरी कर्णपुरा टीपीपी	कोयला	0.00	499.32	5,335.16	9,708.54	12,519.33	2,961.00
30	एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	कोयला	4,182.47	5,930.01	5,462.36	5,236.46	5,278.21	1,538.42
31	पतरातू एसटीपीपी	कोयला			0.00	0.00	2,104.80	1,513.95
32	रघुनाथपुर टीपीपी	कोयला	6,081.72	5,641.39	6,954.97	6,576.47	6,909.98	1,210.21
33	रामागुंडम एसटीपीएस	कोयला	17,450.00	16,059.37	16,949.35	15,037.78	13,755.76	3,870.82
34	रिहंद एसटीपीएस	कोयला	22,406.34	23,368.30	23,399.81	23,426.61	21,685.58	5,571.93
35	राउरकेला पीपी-II विस्तार	कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सिवनी टीपीपी	कोयला		3,727.99	3,596.53	3,216.46	3,909.11	1,023.96
37	सिम्हाद्री	कोयला	11,570.21	12,641.29	11,641.37	12,233.13	11,274.46	3,432.36
38	सिंगरौली एसटीपीएस	कोयला	14,453.81	15,332.74	15,756.09	15,657.40	13,897.28	3,670.89
39	सीपत एसटीपीएस	कोयला	21,220.75	21,168.02	22,358.74	22,986.72	21,457.47	5,512.49
40	सोलापुर एसटीपीएस	कोयला	5,081.29	5,879.54	7,181.43	6,830.21	6,630.72	1,949.87
41	तालचेर (पुराना) टीपीएस	कोयला	0.00					
42	तालचेर एसटीपीएस	कोयला	22,123.45	23,223.19	22,625.01	21,382.44	20,811.98	5,455.75

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	ईंधन का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (जून 2026 तक)
43	टांडा टीपीएस	कोयला	8,616.41	10,039.63	10,397.00	10,728.24	9,123.49	2,240.71
44	तेलंगाना एसटीपीपी	कोयला	0.00	0.00				
45	तेलंगाना एसटीपीपी पीएच-1	कोयला			2,830.67	10,404.44	9,490.00	2,809.06
46	ऊंचाहार टीपीएस	कोयला	8,242.66	8,615.27	8,464.35	9,815.70	9,054.38	2,421.99
47	वेल्लूर टीपीपी	कोयला	7,913.49	9,566.74	6,623.27	8,660.91	7,990.93	2,411.60
48	विंध्याचल एसटीपीएस	कोयला	35,730.28	37,337.16	37,386.85	36,506.02	32,828.75	8,302.87
49	बैरा सिउल एचपीएस	जलविद्युत	587.23	627.94	542.11	569.10	668.03	217.04
50	भाखड़ा लेफ्ट	जलविद्युत	2,189.13	2,290.33	2,678.50	2,399.20	2,556.53	546.50
51	भाखड़ा राइट एचपीएस	जलविद्युत	2,168.54	2,734.42	3,070.75	2,684.39	3,133.76	629.69
52	चमेरा-I एच.पी.एस	जलविद्युत	1,899.27	1,889.11	2,169.72	2,089.22	2,145.00	539.03
53	चमेरा-II एचपीएस	जलविद्युत	1,358.68	1,326.77	1,208.73	1,343.70	1,355.49	390.27
54	चमेरा-III एचपीएस	जलविद्युत	1,004.26	1,001.94	845.09	1,012.46	815.82	334.94
55	चुटक एचपीएस	जलविद्युत	170.54	166.80	158.56	169.22	205.68	48.66
56	देहर एचपीएस	जलविद्युत	3,109.73	3,034.92	2,815.01	2,956.10	2,519.42	803.40
57	धौली गंगा एचपीएस	जलविद्युत	1,212.42	1,292.81	974.11	1,123.16	1,031.51	218.88
58	दोयांग एचपीएस	जलविद्युत	100.55	177.37	165.47	215.02	228.33	31.12
59	दुलहस्ती एचपीएस	जलविद्युत	2,216.13	2,082.93	2,087.25	2,232.77	1,850.65	668.05
60	गंगुवाल एचपीएस	जलविद्युत	609.88	599.02	610.75	591.01	543.53	142.74
61	इंदिरा सागर एचपीएस	जलविद्युत	1,717.17	3,661.11	2,999.74	3,631.35	4,018.82	517.17
62	कामेंग एचपीएस	जलविद्युत	2,576.38	2,912.84	2,652.13	2,757.34	2,873.47	764.82
63	खंडोंग एचपीएस	जलविद्युत	275.12	0.00	0.00	0.00	121.04	56.53
64	किशनगंगा एचपीएस	जलविद्युत	1,506.42	1,454.07	1,270.37	1,291.77	1,550.40	674.91
65	कोलडैम	जलविद्युत	3,120.14	3,132.81	2,952.05	3,353.15	3,612.84	540.18
66	कोपिली एचपीएस	जलविद्युत	0.00	0.00	285.81	588.25	869.97	202.72
67	कोटेश्वर एचपीएस	जलविद्युत	1,190.64	1,255.15	1,193.13	1,244.69	1,385.46	201.15
68	कोटला एचपीएस	जलविद्युत	613.89	601.62	601.10	586.08	550.93	141.18
69	लोकतक एचपीएस	जलविद्युत	455.48	477.98	298.18	706.37	576.01	88.55
70	निचली सुबनसिरी एचईपी	जलविद्युत	0.00	0.00	0.00	0.00	505.53	1,315.79
71	मैथन एचपीएस	जलविद्युत	221.42	100.13	76.32	155.86	187.22	21.95
72	नैटवार मोरी एचपीएस	जलविद्युत	0.00	0.00	0.00	314.84	299.94	72.33
73	नाथपा झाकरी एचपीएस	जलविद्युत	7,067.40	7,132.98	6,310.14	7,421.45	7,506.63	1,466.86
74	निम्मो बाज़गो एचपीएस	जलविद्युत	235.44	235.98	229.92	243.84	259.56	59.32
75	ओंकारेश्वर एचपीएस	जलविद्युत	928.24	1,782.38	1,470.76	1,832.26	1,998.47	285.22
76	पंचेत एचपीएस	जलविद्युत	245.47	136.48	99.96	117.53	144.11	30.96
77	पार्बती-II एचपीएस	जलविद्युत	0.00	0.00	0.00	10.27	1,642.29	543.03
78	पार्बती-III एचपीएस	जलविद्युत	613.34	651.90	293.43	572.40	1,036.71	310.84
79	परे	जलविद्युत	430.57	531.85	448.66	382.71	397.31	118.56
80	पोंग एचपीएस	जलविद्युत	1,103.65	1,564.41	1,807.06	1,531.71	1,869.17	249.44
81	रामपुर एचपीएस	जलविद्युत	1,981.21	1,997.50	1,778.07	2,074.04	2,108.07	412.15
82	रंगनाडी एचपीएस	जलविद्युत	1,154.33	1,376.25	1,177.39	1,065.11	1,078.15	272.00
83	रंगित एचपीएस	जलविद्युत	337.70	332.36	297.01	320.66	332.13	100.44
84	सलाल एचपीएस	जलविद्युत	3,485.52	3,240.08	3,366.72	3,230.34	3,238.41	1,064.88
85	सेवा-II एचपीएस	जलविद्युत	62.89	508.05	551.87	370.87	476.76	141.73
86	टनकपुर एचपीएस	जलविद्युत	540.21	534.95	453.44	452.60	496.06	87.82
87	तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	जलविद्युत	601.51	599.42	418.91	153.95	193.61	84.13
88	तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	जलविद्युत	736.77	734.62	638.19	604.55	613.95	201.98
89	तीस्ता वी एचपीएस	जलविद्युत	2,671.82	2,857.79	1,965.98	0.00	0.00	0.00
90	टिहरी पीएसपी	जलविद्युत	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.62	316.81

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	ईंधन का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (जून 2026 तक)
91	टिहरी एसटी-1 एचपीएस	जलविद्युत	3,098.11	3,284.82	3,248.56	3,373.89	3,512.08	404.61
92	तुइरियल एचपीएस	जलविद्युत	137.44	204.13	118.63	240.30	263.98	22.41
93	उरी-I एचपीएस	जलविद्युत	3,037.45	2,861.52	2,426.91	1,939.77	2,381.10	1,066.96
94	उरी-II एचपीएस	जलविद्युत	1,649.52	1,573.79	1,389.34	1,293.31	1,386.68	526.14
95	बरसिंगसर लिग्नाइट	लिग्नाइट	1,627.84	1,716.03	1,692.16	1,759.56	1,606.50	338.51
96	नेवेली (विस्तार) टीपीएस	लिग्नाइट	3,266.37	3,114.00	2,871.16	3,006.93	2,169.82	628.92
97	नेवेली न्यू टीपीपी	लिग्नाइट	6,177.93	7,156.19	7,073.21	6,729.57	5,433.28	1,192.55
98	नेवेली टीपीएस-II	लिग्नाइट	9,623.91	8,000.26	5,756.11	6,760.01	5,897.88	1,687.62
99	नेवेली टीपीएस-II ईएक्सपी	लिग्नाइट	2,041.50	1,972.52	2,154.85	1,074.46	1,831.54	470.43
100	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक.)	नाफ्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	अगरतला जी टी	प्राकृतिक गैस	924.03	845.61	640.15	543.04	557.12	129.52
102	अन्ता सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	106.14	133.99	354.52	423.38	251.28	50.96
103	औरैया सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	361.19	224.34	698.05	558.31	358.83	78.52
104	दादरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	787.30	683.89	921.47	689.25	425.38	105.04
105	फ़रीदाबाद सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	120.30	2.59	137.28	215.37	185.50	55.85
106	गंधार सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	395.93	267.60	683.49	676.58	430.33	76.52
107	कथालगुड़ी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	1,787.14	1,689.86	1,696.52	1,578.70	1,244.18	333.03
108	कवास सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	255.53	264.89	629.53	613.47	420.90	97.40
109	मोनार्चक सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	717.97	747.19	660.52	489.29	459.32	187.75
110	रत्नागिरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	3,143.92	315.94	1,220.38	1,443.14	866.13	405.17
111	त्रिपुरा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	4,124.65	4,936.23	4,573.95	3,882.76	3,880.19	722.16
112	डीएई (राजस्थान)	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	कैगा	न्यूक्लियर	7,492.05	7,443.24	7,502.65	7,358.02	5,746.86	1,472.03
114	ककरापारा	न्यूक्लियर	3,503.47	3,639.91	7,576.86	12,301.55	12,774.29	3,655.18
115	कुडनकुलम	न्यूक्लियर	14,536.04	14,226.30	13,218.85	15,818.50	14,273.12	4,340.92
116	मद्रास ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	1,089.22	1,786.27	1,592.37	1,674.89	1,410.84	460.21
117	नरौरा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	3,580.25	3,192.62	2,874.63	3,629.48	2,685.32	734.20
118	राजस्थान ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	8,308.85	6,587.27	7,059.67	7,430.95	10,902.54	3,509.10
119	तारापुर	न्यूक्लियर	8,602.18	8,985.48	8,112.38	8,467.44	7,397.55	2,255.15

नोट: 1. **पारंपरिक थर्मल, बड़े हाइड्रो और न्यूक्लियर स्रोतों से उत्पादन** 25 **मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले स्टेशनों से है।**

संकेताक्षर: एपीएस: एटॉमिक पावर स्टेशन
सीसीपीपी: कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट
एसटीपीएस: सुपर थर्मल पावर प्लांट
एचपीएस: हाइड्रो पावर स्टेशन
एनसीटीपीपी: नेशलन कैपिटल थर्मल पावर प्लांट

रा.स.अतारां.प्र.सं.2544

अनुबंध-III

विभिन्न पारंपरिक मोड से उत्पादन (25 **मेगावाट और उससे अधिक क्षमता) के केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के लिए विद्युत की बिक्री की अखिल भारतीय भारित औसत दर (एआई-डब्ल्यूएआरएसपी**):

वित्त वर्ष	**एआई-डब्ल्यूएआरएसपी (पैसे/केडब्ल्यूएच)**
2020-21	332.94
2021-22	357.29
2022-23	422.12
2023-24	415.66
2024-25	418.00

पिछले पांच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) और चालू वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022				अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0.0	1,788	1,788	0	0.0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0.0	35,143	35,133	10	0.0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5	61,451	60,945	506	0.8
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2	12,649	12,542	107	0.8
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6	19,639	19,322	317	1.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7	69,522	69,220	302	0.4
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7
उत्तर प्रदेश	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6	15,647	15,386	261	1.7
उत्तरी क्षेत्र	**4,17,934**	**4,13,915**	**4,019**	**1.0**	**4,63,088**	**4,58,640**	**4,449**	**1.0**
छत्तीसगढ	31,908	31,872	35	0.1	37,446	37,374	72	0.2
गुजरात	1,23,953	1,23,666	287	0.2	1,39,043	1,38,999	44	0.0
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1	92,683	92,325	358	0.4
महाराष्ट्र	1,72,823	1,72,809	14	0.0	1,87,309	1,87,197	111	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9,433	9,433	0	0.0	10,018	10,018	0	0.0
गोवा	4,448	4,448	0	0.0	4,669	4,669	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**4,29,065**	**4,28,683**	**383**	**0.1**	**4,77,393**	**4,76,808**	**586**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3	72,302	71,893	410	0.6
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0.0	77,832	77,799	34	0.0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0.0	75,688	75,663	26	0.0
केरल	26,579	26,570	9	0.0	27,747	27,726	21	0.1
तमिलनाडु	1,09,816	1,09,798	18	0.0	1,14,798	1,14,722	77	0.1
पुदुचेरी	2,894	2,893	1	0.0	3,051	3,050	1	0.0
लक्षद्वीप	56	56	0	0.0	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**3,50,678**	**3,50,421**	**258**	**0.1**	**3,71,467**	**3,70,900**	**567**	**0.2**
बिहार	36,216	35,761	455	1.3	39,545	38,762	783	2.0
डीवीसी	23,741	23,736	4	0.0	26,339	26,330	9	0.0
झारखंड	11,148	10,590	558	5.0	13,278	12,288	990	7.5
ओडिशा	38,339	38,332	7	0.0	42,631	42,584	47	0.1
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1	60,348	60,274	74	0.1
सिक्किम	610	609	0	0.0	587	587	0	0.0
अंडमान-निकोबार	335	327	8	2.3	348	348	0	0.1
पूर्वी क्षेत्र	**1,64,054**	**1,62,973**	**1,081**	**0.7**	**1,82,791**	**1,80,888**	**1,903**	**1.0**
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1	915	892	24	2.6
असम	10,844	10,825	19	0.2	11,465	11,465	0	0.0
मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1	1,014	1,014	0	0.0
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6	2,237	2,237	0	0.0
मिजोरम	656	644	12	1.8	645	645	0	0.0
नागालैंड	852	851	1	0.1	926	873	54	5.8
त्रिपुरा	1,578	1,578	0	0.0	1,547	1,547	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**18,079**	**18,033**	**47**	**0.3**	**18,758**	**18,680**	**78**	**0.4**
अखिल भारतीय	**13,79,812**	**13,74,024**	**5,787**	**0.4**	**15,13,497**	**15,05,914**	**7,583**	**0.5**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-IV (2/3)

पिछले पांच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) और चालू वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के मामले में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024				अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,789	1,789	0	0.0	1,952	1,952	0	0.0
दिल्ली	35,501	35,496	5	0.0	38,255	38,243	12	0.0
हरियाणा	63,983	63,636	348	0.5	70,149	70,120	30	0.0
हिमाचल प्रदेश	12,805	12,767	38	0.3	13,566	13,526	40	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,040	19,763	277	1.4	20,374	20,283	90	0.4
पंजाब	69,533	69,528	5	0.0	77,423	77,423	0	0.0
राजस्थान	1,07,422	1,06,806	616	0.6	1,13,833	1,13,529	304	0.3
उत्तर प्रदेश	1,48,791	1,48,287	504	0.3	1,65,090	1,64,786	304	0.2
उत्तराखंड	15,644	15,532	112	0.7	16,770	16,727	43	0.3
उत्तरी क्षेत्र	**4,76,852**	**4,74,946**	**1,906**	**0.4**	**5,18,869**	**5,17,917**	**952**	**0.2**
छत्तीसगढ़	39,930	39,872	58	0.1	43,208	43,180	28	0.1
गुजरात	1,45,768	1,45,740	28	0.0	1,51,878	1,51,875	3	0.0
मध्य प्रदेश	99,301	99,150	151	0.2	1,04,445	1,04,312	133	0.1
महाराष्ट्र	2,07,108	2,06,931	176	0.1	2,01,816	2,01,757	59	0.0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,164	10,164	0	0.0	10,852	10,852	0	0.0
गोवा	5,111	5,111	0	0.0	5,411	5,411	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,17,714**	**5,17,301**	**413**	**0.1**	**5,28,924**	**5,28,701**	**223**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	80,209	80,151	57	0.1	79,028	79,025	3	0.0
तेलंगाना	84,623	84,613	9	0.0	88,262	88,258	4	0.0
कर्नाटक	94,088	93,934	154	0.2	92,450	92,446	4	0.0
केरल	30,943	30,938	5	0.0	31,624	31,616	8	0.0
तमिलनाडु	1,26,163	1,26,151	12	0.0	1,30,413	1,30,408	5	0.0
पुदुचेरी	3,456	3,455	1	0.0	3,549	3,549	0	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	68	68	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,19,531**	**4,19,293**	**238**	**0.1**	**4,25,373**	**4,25,349**	**24**	**0.0**
बिहार	41,514	40,918	596	1.4	44,393	44,217	176	0.4
डीवीसी	26,560	26,552	8	0.0	25,891	25,888	3	0.0
झारखंड	14,408	13,858	550	3.8	15,203	15,126	77	0.5
ओडिशा	41,358	41,333	25	0.1	42,882	42,858	24	0.1
पश्चिम बंगाल	67,576	67,490	86	0.1	71,180	71,085	95	0.1
सिक्किम	544	543	0	0.0	574	574	0	0.0
अंडमान-निकोबार	386	374	12	3.2	425	413	12	2.87428
पूर्वी क्षेत्र	**1,92,013**	**1,90,747**	**1,266**	**0.7**	**2,00,180**	**1,99,806**	**374**	**0.2**
अरुणाचल प्रदेश	1,014	1,014	0	0.0	1,050	1,050	0	0.0
असम	12,445	12,341	104	0.8	12,843	12,837	6	0.0
मणिपुर	1,023	1,008	15	1.5	1,079	1,068	10	0.9
मेघालय	2,236	2,066	170	7.6	2,046	2,046	0	0.0
मिजोरम	684	684	0	0.0	709	709	0	0.0
नागालैंड	921	921	0	0.0	938	938	0	0.0
त्रिपुरा	1,691	1,691	0	0.0	1,939	1,939	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**20,022**	**19,733**	**289**	**1.4**	**20,613**	**20,596**	**16**	**0.1**
अखिल भारतीय	**16,26,132**	**16,22,020**	**4,112**	**0.3**	**16,93,959**	**16,92,369**	**1,590**	**0.1**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-IV (3/3)

पिछले पांच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) और चालू वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के मामले में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2025 - मार्च, 2026				अप्रैल, 2026 - जून, 2026 (*)			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,879	1,879	1	0.0	546	546	0	0.0
दिल्ली	38,556	38,548	8	0.0	11,742	11,739	3	0.0
हरियाणा	70,493	70,427	66	0.1	19,975	19,881	95	0.5
हिमाचल प्रदेश	13,642	13,595	47	0.3	3,132	3,124	8	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	20,185	20,166	19	0.1	4,769	4,739	30	0.6
पंजाब	75,409	75,308	101	0.1	21,506	21,328	178	0.8
राजस्थान	1,10,657	1,10,657	0	0.0	27,556	27,556	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,63,501	1,63,475	26	0.0	49,411	49,401	10	0.0
उत्तराखंड	16,538	16,475	63	0.4	4,571	4,539	33	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**5,12,458**	**5,12,127**	**331**	**0.1**	**1,43,684**	**1,43,329**	**356**	**0.2**
छत्तीसगढ़	42,933	42,925	8	0.0	12,490	12,474	16	0.1
गुजरात	1,56,588	1,56,588	0	0.0	46,110	46,073	37	0.1
मध्य प्रदेश	1,03,711	1,03,696	15	0.0	26,911	26,884	27	0.1
महाराष्ट्र	2,02,867	2,02,854	13	0.0	58,539	58,374	165	0.3
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,182	11,182	0	0.0	2,682	2,682	0	0.0
गोवा	5,449	5,449	0	0.0	1,532	1,532	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,36,483**	**5,36,445**	**37**	**0.0**	**1,51,998**	**1,51,753**	**245**	**0.2**
आंध्र प्रदेश	81,204	81,197	7	0.0	23,808	23,805	3	0.0
तेलंगाना	87,274	87,266	8	0.0	23,132	23,128	4	0.0
कर्नाटक	95,791	95,780	11	0.0	28,003	27,985	17	0.1
केरल	31,157	31,154	3	0.0	8,898	8,881	17	0.2
तमिलनाडु	1,32,328	1,32,317	11	0.0	37,473	37,468	5	0.0
पुदुचेरी	3,508	3,504	3	0.1	1,003	1,002	0	0.0
लक्षद्वीप	73	73	0	0.0	20	20	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,31,311**	**4,31,267**	**43**	**0.0**	**1,22,327**	**1,22,281**	**47**	**0.0**
बिहार	47,440	47,425	14	0.0	14,136	14,118	18	0.1
डीवीसी	24,755	24,751	3	0.0	6,334	6,334	1	0.0
झारखंड	15,435	15,430	5	0.0	4,430	4,429	1	0.0
ओडिशा	44,199	44,193	6	0.0	12,869	12,868	1	0.0
पश्चिम बंगाल	72,970	72,906	64	0.1	21,598	21,594	4	0.0
सिक्किम	554	554	0	0.0	133	133	0	0.0
अंडमान-निकोबार	423	403	20	4.7	120	118	3	2.1
पूर्वी क्षेत्र	**2,05,417**	**2,05,324**	**93**	**0.0**	**59,520**	**59,495**	**25**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	1,194	1,194	0	0.0	283	283	0	0.0
असम	13,616	13,615	1	0.0	3,531	3,521	9	0.3
मणिपुर	1,178	1,176	3	0.2	301	301	0	0.0
मेघालय	2,095	2,095	0	0.0	532	532	0	0.0
मिजोरम	754	754	0	0.0	184	184	0	0.0
नागालैंड	996	996	0	0.0	264	264	0	0.0
त्रिपुरा	1,903	1,903	0	0.0	490	490	0	0.1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**21,825**	**21,821**	**4**	**0.0**	**5,588**	**5,578**	**10**	**0.2**
अखिल भारतीय	**17,07,493**	**17,06,985**	**508**	**0.0**	**4,83,117**	**4,82,435**	**682**	**0.1**

(*) जून, 2026 के आंकड़े अनंतिम है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-V

पिछले पांच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान, भारतीय ग्रिड से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से भारत द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात की गई विद्युत (ऊर्जा) का विवरण:

वर्ष	भारत द्वारा निर्यात (एमयू में)			
	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार
2021-22	322	7,327	2,127	8.81
2022-23	522	8,581	1,552	9.80
2023-24	1,868	8,394	1,850	8.78
2024-25	1,764	8,084	1,686	9.08
2025-26	2,115	8,362	1,451	8.27

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2544

अनुबंध-VI

वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक अदानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल) द्वारा बांग्लादेश को निर्यात की गई विद्युत का विवरण:

वर्ष	एपीजेएल द्वारा बांग्लादेश को निर्यात (एमयू में)
2022-23	155.55
2023-24	7,595.00
2024-25	7,669.00
2025-26	9,131.00
